

31/10/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त
~~का~~ के रेस्पॉण्डेंट सं. 1 के आग्रह मुद्दा
के नोटिस भरकर पेश करने हेतु निर्देश
दिए गये थे। लेकिन आज दिनांक तक
अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा रेस्पॉ. सं. 1 के आग्रह
मुद्दा के नोटिस पेश नहीं किये गये।
अतः पत्रावली अद्य तकनीक में खारिज
की जाती है। पत्रावली केवल शुक्र
शुक्र नम्बर से उम है।